

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
संख्या:- 3869/ FP/UK/Others/31184/2018 देहरादून: दिनांक 01 मई, 2018

सेवा में,

सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषय:- जनपद- टिहरी गढ़वाल के राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-58 के कि०मी० 253.00 से कि०मी० 254.00 के मध्य में सड़क के चौड़ीकरण एवं सृढ़ीकरण हेतु हॉट मिक्सिंग प्लांट हेतु 0.18 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रत्यावर्तन। FP/UK/Others/31184/2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है। उक्त प्रस्ताव की हार्ड कॉपी आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संलग्न कर विशेष पत्र वाहक के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है। अतः टिहरी गढ़वाल के राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-58 के कि०मी० 253.00 से कि०मी० 254.00 के मध्य में सड़क के चौड़ीकरण एवं सृढ़ीकरण हेतु हॉट मिक्सिंग प्लांट हेतु प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(मनोज चन्द्रन)

मुख्य वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

संख्या /1जी- FP/UK/Others/31184/2018 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर-मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड़, देहरादून को प्रस्ताव की मूल प्रति पार्ट I से IV तक संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल।
4. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती।
5. जिलाधिकारी, जनपद- टिहरी।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।
7. परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, 84, वसन्त विहार, फेज-II, देहरादून।

(मनोज चन्द्रन)

मुख्य वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नाम: जनपद— टिहरी गढ़वाल के राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-58 के कि०मी० 253.00 से कि०मी० 254.00 के मध्य में सड़क के चौड़ीकरण एवं सृढ़ढीकरण हेतु हॉट मिक्सिंग प्लांट हेतु 0.18 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रत्यावर्तन। FP/UK/Others/31184/2018

1. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु जनपद टिहरी में 0.18 है० आरक्षित वन भूमि (सिंगटाली कक्ष सं०-4) का हस्तान्तरण प्रस्तावित है, जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त हॉट मिक्सिंग प्लांट के निर्माण हेतु वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती तथा वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती, द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः टिहरी गढ़वाल के राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-58 के कि०मी० 253.00 से कि०मी० 254.00 के मध्य में सड़क के चौड़ीकरण एवं सृढ़ढीकरण हेतु हॉट मिक्सिंग प्लांट हेतु प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर:

नाम व पदनाम: (मनोज चन्द्रन भा.व.से.)

मुख्य वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड

सरकारी मोहर:

तिथि : 01 / 05 / 2018

स्थान : देहरादून